सत्यमेव जयते

संख्या— / जी0एस0 / शिक्षा / A11 44/20 18

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 29 मई, 2018**

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1671 / SDSUV / Affi / 14—15 दिनांक 31.03.2015 पत्र संख्या 529 / SDSUV / Affi / 2015—16 दिनांक 31.05.2016 तथा पत्र संख्या 3861 / SDSUV / Affi / 2017—18 दिनांक 14.03.2018 पर कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय—06 की धारा—33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को बी0एड0 पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ—5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :—

क्र0सं0	**संस्था का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता**	**अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	2	3	4	5
1	आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम मुण्डेट, मंगलौर, रूड़की, हरिद्वार।	**बी0एड0** (एक वर्षीय)	100 सीट	सत्र 2014—15
		बी0एड0 (द्विवर्षीय)	100 सीट	सत्र 2015—16

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
3. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होनें पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः— 2 पर